न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 63/2023

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**

1.बाबूखां पुत्र उस्मान 2.चमसेर पुत्री उस्मान 3.सरीफो पुत्री उस्मान 4.हवलीदेवी पुत्री उसमान 5.नाजु पुत्री उस्मान 6.नियोमत पुत्री उस्मान 7.पपिया पुत्री उस्मान 8.रोशन पुत्री उस्मान 9.जमालखान पुत्र नुरजा 10.रसूलखान पुत्र नूरजा 11.रसूलखान पुत्र नूरजा 12.सतारखान पुत्र नूरजा जातियान मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी हाल निवासी नौसर तहसील जिला बालोतरा	1.दीनमोहम्मद पुत्र मेहरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2.धनकंवर पत्नि दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बालोतरा 3.शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूंका भगतसिंह 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 29.07.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि तहसील सिणधरी पटवार डण्डाली ग्राम गिरली कितपाल के खेत खसरा सं. 150/75 रकबा 8.0900 हैक्टर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार डण्डाली ग्राम गिरली कितपाल के खेत खसरा सं. 150/75 रकबा 8.0900 हैक्टर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	बरंग
1	गीगी 1/20, चमसेर 1/20 नियोमत 1/20 पपिया 1/20 रोशन 1/20 सरीफो 1/20 हवली 1/20 पुत्रिया उस्मान बाबुखां 11220 पुत्र उस्मान जमालखान 1/60 रसूलखान 1/60 सतारखान 1/60 पुत्र नूरजा जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	गिरली कितपाल	150/75	2.6967	बा.दो	हरा
2	दीन मोम्मद पुत्र मेहरा 1/2 हि. जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार धनकंवर पत्नि दुर्गसिंह 1/2 हि. जाति राजपूत सा. नौसर खातेदार रहन दीनमोम्मद का हिस्सा 1/2 एस.बी.आई शाखा भूंका भगतसिंह	गिरली कितपाल	150/75	2.6967	बा.दो	हरा
			150/75	2.6966	बा.दो	
		योग		5.3933		

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायाल[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.[illegible]ओ.)सिणधरी

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीनी

1. बाबूखां पुत्र उस्मान
2. चमसेर पुत्री उस्मान
3. सरीफो पुत्री उस्मान
4. हवलीदेवी पुत्री उसमान
5. नाजु पुत्री उस्मान
6. नियोमत पुत्री उस्मान
7. पपिया पुत्री उस्मान
8. रोशन पुत्री उस्मान
9. जमालखान पुत्र नुरजा
10. रसूलखान पुत्र नूरजा
11. रसूलखान पुत्र नूरजा
12. सतारखान पुत्र नूरजा जातियान मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी हाल निवासी नौसर तहसील जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दीनमोहम्मद पुत्र मेहरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. धनकंवर पत्नि दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बालोतरा
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूंका भगतसिंह
4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः— 53.188, आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—63/2023
निर्णय दिनांक :— 29.07.2025

वादीगण की ओर से श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादी 4 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.07.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.07.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।यह आज तारीख 29.07.2025 को [illegible] हस्ताक्षर व और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सहायक [illegible],सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण	रूपया	[illegible]	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	